

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।
पत्रांक 2428 / 14-10 दिनांक, अयोध्या, फरवरी 08 / 2023।
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:- जनपद-अयोध्या में लखनऊ-अयोध्या मार्ग एन0एच0-27 (पुराना एन0एच0-28) के किमी0 संख्या-111 (चैनेज संख्या-110.909) के मध्य दांभी पटरी पर खसरा सं0-116, ग्राम-साल्हेपुर निमैचा, तहसील-सोहावल, जिला-अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.050738 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाना।

प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0 / यू0पी0 / अप्रौच / 155025 / 2022।
सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या का पत्रांक 2807 / 14-4 दिनांक 28-01-2023।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या के संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त विषयक प्रस्ताव चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव तीन प्रतियों में मय पेनड्राइव सहित संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
[Signature]

(डा0 अनिरुद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

पृ0सं02428 / उक्त दिनांक।

1- प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अयोध्या को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।

2- प्रतिलिपि- वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) गोरखपुर मण्डल कार्यालय, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, गोरखपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]

(डा0 अनिरुद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

उपरोक्त प्राप्त किया
[Signature]
8/2/2023

भाग-iii

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रश्नों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उक्त वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन

संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।
प्रस्ताव अयोग्य है। वन संरक्षक के सुझावों से सहमत नहीं है।
प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए कार्य करे।

दिनांक- 8/2/2023

स्थान- अयोध्या

हस्ताक्षर


वन संरक्षक/निदेशक
साओ याओ, सरगु चूत, उओप्रओ
अयोध्या